

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 655 सन 2020

अनवान :-

1. आईदान पुत्र भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. भालगर पुत्र बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. वादो पत्नी नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. बलदेवगर पुत्र नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. कृष्णगर पुत्र नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश पुत्र मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. सावत्री पत्नी मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. जैसगर पुत्र बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. चन्दो पुत्री बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. ओमप्रकाश पुत्र सरवती पुत्री बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. भोजराज पुत्र सरवती पुत्री बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. कृष्णा पुत्री सरवती पुत्री बेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. कमला पुत्री भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
15. सन्तोष पुत्री भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
16. कृष्णादेवी पुत्री भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
17. सन्तोष पुत्री नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
18. रोशनी पुत्री नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
19. मैना पुत्री नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
20. कृष्णा पुत्री मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
21. सरोज पुत्री मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 06/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न० 185 की कुल 17.5910 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है।

बेगराज पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है बेगराज पुत्र सहीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पुत्र के वारिसान/पुत्री के वारिसान व पत्नि है अर्थात बेगराज पुत्र सहीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है।

मृतक बेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि उसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 वादी की बहने/प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /मृतक बेगराज की पुत्री के वारिसान/मृतक मधगर /नंदगर की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिय के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता बेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है बेगराज पुत्र सहीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है बेगराज पुत्र सहीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 22 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 185 की कुल 17.5910हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है।


बेगराज पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है बेगराज पुत्र सहीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पुत्र के वारिसान/पुत्री के वारिसान व पत्नि है अर्थात बेगराज पुत्र सहीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है।

मृतक बेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि उसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 वादी की बहने/प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /मृतक बेगराज की पुत्री के वारिसान/मृतक मधगर /नदंगर की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

  
उपस्थित अधिकारी  
बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न० 185 की कुल 17.5910 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता वेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है वेगराज पुत्र सहीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया/मृतक पुत्री सरवती पुत्र नंदगर, मधगर के वारसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है जो प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।


वेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि वेगराज पुत्र सहीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 21 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न० 185 की कुल 17.5910 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है मृतक वेगराज पुत्र सहीराम का नाम कलमजान किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिव 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिव 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेली 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. आईदान पुत्र भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भालगर पुत्र वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. वादो पत्नी नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. बलदेवगर पुत्र नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. कृष्णगर पुत्र नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश पुत्र मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. सावत्री पत्नी मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. जैसगर पुत्र वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. वन्दो पुत्री वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. ओमप्रकाश पुत्र सरवती पुत्री वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. भोजराज पुत्र सरवती पुत्री वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. कृष्णा पुत्री सरवती पुत्री वेगराज जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. कमला पुत्री भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
15. सन्तोष पुत्री भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
16. कृष्णादेवी पुत्री भालगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
17. सन्तोष पुत्री नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
18. रोशनी पुत्री नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
19. मैना पुत्री नंदगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
20. कृष्णा पुत्री मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
21. सरोज पुत्री मधगर जाति गोस्वामी निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 655 सन 2020 निर्णय दिनांक- 06/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 185 की कुल 17.5910 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेगराज पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है मृतक वेगराज पुत्र सहीराम का नाम कलमजान किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेली 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर